(78)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /2016 निगरानी   F.No 2276 – II – 16

लखन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 08/07/16 को प्रस्तुत

8/7/16

गजाधर वर्मा पुत्र सरवनलाल वर्मा, आयु– 52 वर्ष, व्यवसाय– खेती, निवासी–ग्राम सिरसौद, तहसील व शिवपुरी म.प्र.

...............आवेदकगण

बनाम

श्रीमती मीना जैन पत्नी श्री राजेन्द्र जैन, आयु–45 वर्ष, व्यवसाय– गृहकार्य, निवासी–ग्राम सिरसौद, तहसील व शिवपुरी म.प्र.

.... अनावेदक

08/07/16 (L.S. Dhakad Adv.)

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र 56/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–</u>

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्र. 2086, 2087 एवं 2113 कुल किता 3 कुल रकबा .44 हैक्टेयर ग्राम सिरसौद, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी में स्थित है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबध मे अनावेदिका श्रीमती मीना जैन पत्नी श्री राजेन्द्र जैन द्वारा [redacted] आवेदक के विरूद्ध तहसील न्यायालय शिवपुरी के समक्ष एक आवेदन पत्र म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि आवेदक ने ग्राम सिरसौद की भूमि सर्वे क्र. 2086, 2087 एवं 2113 कुल किता 3 कुल रकवा .44 हैक्टेयर पर गजाधर वर्मा पुत्र सरवन वर्मा द्वारा आवेदिका की संम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया है जिससे कब्जा वापिस आवेदिका/अनावेदिका को दिलाया जावे और आवेदक गजाधर वर्मा पुत्र सरवन वर्मा को सब जेल शिवपुरी भेजा जावे। उक्त आवेदन पत्र पर से तहसील न्यायालय द्वारा प्र.क. 11/15–16/अ–70 पर दर्ज किया गया। आवेदक द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./2276/दो/2016 जिला शिवपुरी

गजाधर वर्मा विरूद्ध श्रीमती मीना जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 56/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 17/6/16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 8/08/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	